संख्या- 9/2021/735/96-आयुष-2-2021-2(बी)/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 24 मार्च, 2021

विषय- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ एवं कानपुर के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/869 दिनांक 08-03-2021, पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/870 दिनांक 08-03-2021, पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/871 दिनांक 08-03-2021,पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/872 दिनांक 08-03-2021 एवं पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/873 दिनॉक 08-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं कानपुर के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-6/2020/951/96-आयुष-2-2020, दिनांक 28-03-2020 एवं शासनादेश संख्या-23/2020/479/96-आयुष-2-2020-2(बी)/2020, दिनांक 19-11-2020 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त कार्यो हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 627.42 लाख (रूपये छः करोड़ सत्ताइस लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र0 सं0	**कार्य का नाम**	**वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)**
1.	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ में रैन बसेरा, ओपेन ऑडिटोरियम हाल एवं मल्टीलेवल पार्किंग स्थल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	148.87
2.	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं लाइब्रेरी के अधुनिक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	114.90
3.	पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में निर्माणाधीन 05 नग नये लेक्चर थियेटर के निर्माण के सम्बन्ध में।	147.02
4.	पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में निर्माणाधीन पुरूष छात्रावास, सी0सी0 रोड, इण्टर लॉकिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	137.99
5.	पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में निर्माणाधीन महिला छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में।	78.64
	योग	627.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है:-

1. ऑगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2. ऑगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
4. प्रयोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6. परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं संबंधित निदेशक का होगा।
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रधानाचार्य एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।
10. प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
11. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
12. प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
13. उपकरण/फर्नीचर क्रय, बॉट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
14. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17. वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2-2017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
19. अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।
20. निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09-राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज और अस्पताल-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 9/2021/735(1)/96-आयुष-2-2019 तद्दिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ/कानपुर।
5- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।